

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी हरदा, (म0प्र0)

क्रमांक / आब. / सू.अ. / 2009-10 /
प्रति,

हरदा, दिनांक 11 नवम्बर 2009

कलेक्टर
जिला हरदा (म.प्र.)

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का प्रभावी क्रियान्वयन।
संदर्भ:- आपका निर्देश दिनांक 10 नवम्बर 2009.

विषयांकित संदर्भित निर्देश के अनुशरण में बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन निम्नवत् है:-

- (1) बिन्दू क्रमांक 1 :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कार्यालय में नियुक्त अपीलीय अधिकारी, लोकसूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी के संबंध में जानकारी का सूचना पटल पर दिए गये निर्देशानुसार प्रमुखता से दर्शाये गये हैं।
- (2) बिन्दू क्रमांक 2 :- निर्देशानुसार दौरे के समय उक्त अधिनियम से संबंधित कार्यवाही की समीक्षा सहित अधिकृत दौरा कार्यक्रम में भी शामिल किये जाने की कार्यवाही जारी की जा रही है, तथा कार्यालय से संबंधित 17 बिन्दुओं के मेन्युअल की जानकारी निम्नानुसार है :-

बिन्दू क्रमांक-1 :-

- (1) प्रशासनिक प्रतिवेदन :-

जिले में आबकारी विभाग आबकारी आयुक्त म.प्र., ग्वालियर तथा जिला कलेक्टर के पर्यवेक्षण में मादक पदार्थों के व्यापार पर लायसेंस फीस ड्यूटी तथा अन्य करों के अतिरिक्त मनोरंजन स्थलों से मनोरंजन शुल्क के रूप में राजस्व प्राप्त करने का दायित्व निर्वहन करता है। मादक पदार्थों के अवैध निर्माण एवं व्यापार से सम्बन्धित अपराध नियंत्रण का दायित्व भी आबकारी विभाग का है। आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किये गये लक्ष्य के अनुरूप राजस्व वसूली करना, देशी मदिरा भाण्डागारों से फुटकर लायसेन्सधारकों को देशी मदिरा के समुचित प्रदाय का पर्यवेक्षण करना, विदेशी मदिरा व्यावसाय से सम्बन्धित लायसेन्सधारकों को विदेशी मदिरा के प्राप्ति हेतु आवश्यक एन. ओ. सी. जारी करना उपरोक्त व्यवस्थाओं के साथ साथ भांग, भांगघोटा एवं ताड़ी के व्यावसाय पर पर्यवेक्षण रखते हुए शासकीय राजस्व की सुरक्षा करना, जिले में स्थापित आबकारी केन्द्रों, देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, भांग, भांगघोटा एवं ताड़ी की दुकानों के संचालन का पर्यवेक्षण करना तथा समय समय पर निरीक्षण करना एवं पाई गई अनियमितताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना।

जिला स्तर पर आबकारी प्रशासन के प्रमुख कलेक्टर होते हैं, उनकी सहायता के लिए जिले में जिला आबकारी अधिकारी पदस्थ हैं, जिले में इनकी सहायतार्थ सहायक जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी उपनिरीक्षक, आबकारी मुख्य आरक्षक, आबकारी आरक्षक, एवं लिपिकीय कर्मचारी पदस्थ हैं।

जिला हरदा में जिला आबकारी कार्यालय में शासन द्वारा स्वीकृत कार्यालयीन एवं कार्यपालिक अधिकारियों कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या एवं कार्यरत संख्यात्मक विवरण निम्नवत् है:-

स.क्र.	पदनाम	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या
1	जिला आबकारी अधिकारी	01	01
2	सहायक जिला आबकारी अधिकारी	01	01
3	आबकारी उपनिरीक्षक	05	03
4	मुख्य लिपिक	01	00
5	सहायक ग्रेड-2	01	00
6	सहायक ग्रेड-3	03	02
7	कम्प्यूटर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	01	00
8	मुख्य आरक्षक	01	01
9	आरक्षक	09	09
10	वाहन चालक	01	00
11	भृत्य	05	04

जिला कार्यालय हरदा में विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया एक कम्प्यूटर कार्यरत है। कार्यालय के क्रियान्वयन हेतु मात्र दो लिपिक वर्गीय पदस्थ कर्मचारी श्री राजेन्द्र कुमार चक्रवर्ती, सहा.ग्रेड-3 एवं श्रीमती सविता उइके, सहायक ग्रेड-3 द्वारा कार्यालयीन समस्त कार्य किया जा रहा है।

(2) बिन्दु क्रमांक-2 :- से संबंधित वांछित जानकारी निम्नवत् है :-


क्रम	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	कर्तव्य	परिलक्षियां
1	श्री आर.आर.ओसवाल	जिला आबकारी अधिकारी	कार्यालय प्रमुख की हैसियत से प्रशासनिक कार्य	28203
2	श्री इन्दरसिंह राजपूत	सहा.जि.आब.अधि	जिला आबकारी अधिकारी के निर्देशानुसार प्रशासनिक कार्य एवं कार्यपालिक	22631
3	श्री सी.एल. मधुकर	उपनिरीक्षक	कार्यपालिक	11754
4	श्री मंशाराम उइके	उपनिरीक्षक	कार्यपालिक	11754
5	श्रीमती श्वेता सिंह(वास्कले)	उपनिरीक्षक	कार्यपालिक	11754
6	श्री राजेन्द्र चक्रवर्ती	सहायक ग्रेड-3	कार्यालयीन कार्य	13846
7	श्रीमती सविता उइके	सहायक ग्रेड-3	कार्यालयीन कार्य	7762
8	श्री हरिप्रसाद गौस्वामी	मुख्य आरक्षक	कार्यपालिक	14389
9	श्री विजयसिंह राजपूत	आरक्षक	कार्यपालिक	14648
10	श्री शत्रुघनप्रसाद मिश्रा	आरक्षक	कार्यपालिक	14648
11	श्री पंकजहरि गुप्ता	आरक्षक	कार्यपालिक	15132
12	श्री कैलाश अखण्डे	आरक्षक	कार्यपालिक	10432
13	श्री अमित बिल्लौरे	आरक्षक	कार्यपालिक	10244
14	श्री रमेशचन्द्र जायसवाल	आरक्षक	कार्यपालिक	10055
15	श्री परमानन्द चौधरी	आरक्षक	कार्यपालिक	10055
16	श्री कृष्ण कुमार सौर	आरक्षक	कार्यपालिक	10432
17	श्री पंढरीनाथ पाटिल	आरक्षक	कार्यपालिक	14872
18	श्री नर्मदाप्रसाद मालवीय	भृत्य	कार्यालयीन कार्य	9666
19	श्री मोहनलाल तुमराम	भृत्य	कार्यालयीन कार्य	8324

20	श्री गुणवंत गीद	भृत्य	कार्यालयीन कार्य	7430
21	श्री दिनेश कुमार सेन	भृत्य	कार्यालयीन कार्य	6969

(3) बिन्दु क्रमांक-3 :-कार्यालय में अपनाई जाने वाली निर्णय प्रक्रिया (नस्ती खोले जाने से निर्णय लेने तक) निम्नवत् है :-

- i आवेदन/शिकायत की प्राप्ति।
- ii कार्यालय प्रमुख द्वारा सम्बन्धित शाखा को मार्किंग।
- iii आवक लिपिक द्वारा आमद कर शाखा को आन्तरण।
- iv सम्बन्धित शाखा द्वारा नस्ती तैयार कर रखना।
- v आवश्यकतानुसार जांच/परीक्षण कराया जाना।
- vi जांच रिपोर्ट एवं परीक्षण प्रतिवेदन के साथ कार्यालय प्रमुख के समक्ष तत्थ्यात्मक टीप के साथ रखा जाना।
- vii आवश्यकतानुसार अन्य पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करना एवं उमय पक्ष को सुना जाना/अभिलिखित करना।
- viii अधिकारिता से परे होने पर वरिष्ठ कार्यालय को नस्ती/प्रकरण भेजा जाना।
- ix वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त आदेशानुसार निराकरण किया जाना।
- x शासन एवं विभाग के उपबंधों/प्रावधानों की सीमाओं में रहते हुए निष्पक्ष एवं न्यायोचित निर्णय लेकर निराकरण करना।
- xi लिए गये निर्णय से उमय पक्ष एवं वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराना।
- xii अपीलीय अवधि उपरांत प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाना।

बिन्दू क्रमांक-3 ग्राफ के माध्यम से जानकारी निम्नवत् है:—



बिन्दू क्रमांक-4 :-

विभाग में दायित्वों के निर्वहन के लिए सम्बन्धित अधिनियमों/नियमों में कार्य संधारण संबंधी नामर्स निर्धारित किये गये हैं। दायित्व निर्वहन में इन नामर्स का पलान किया जाता है।

बिन्दू क्रमांक-5 :-

विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कर्तव्यों के निष्पादन में उपयोग में लाये गये अधिनियमों एवं नियमों का विवरण :-

आबकारी विभाग में निम्नलिखित अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत कार्य किया जाता है:-

1. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915
2. मध्यप्रदेश देशी स्पिरिट नियम 1995
3. मध्यप्रदेश आसवनी नियम 1995
4. मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम 1996
5. मध्यप्रदेश बीयर एवं मद्य नियम 2000
6. मध्यप्रदेश अल्कोहल उतारी नियम 1991
7. नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985
8. नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (मध्य प्रदेश) रूल्स 1985
9. भांग नियम
10. सामान्य प्रयुक्ति के नियम
11. विशेष पास नियम
12. ताडी नियम
13. दि मेडीसिनल एण्ड टायलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955
14. दि मेडीसिनल एण्ड टायलेट प्रिपरेशन (मध्य प्रदेश) ड्यूटी रूल्स 1956
15. मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क और विज्ञापन कर अधिनियम 1936
16. मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर नियम 1942
17. मध्यप्रदेश सिनेमा रेग्युलेशन एक्ट 1952
18. मध्यप्रदेश सिनेमा (रेग्युलेशन) नियम 1972
19. मध्यप्रदेश सिनेमा विनिमय (एडवरटाईजिंग वैन) नियम, 1960
20. मध्यप्रदेश सिनेमाघरों के निर्माण को प्रोत्साहन योजना के सहायता अनुदान नियम 1982
21. मध्यप्रदेश सिनेमा (वी.सी.आर. द्वारा फिल्म प्रदर्शन) अनुज्ञापन नियम 1983

22. विपकृत प्रासव नियम
23. परिशोधित स्प्रिट नियम
24. मध्यप्रदेश विपकृत मादक (स्प्रिट जन्य) संपाक नियम 1969
25. मध्यप्रदेश मादक संपाक अन्तर्राज्यीय (व्यापार और वाणिज्यिक) नियंत्रण नियम 1960
26. आपराधिक प्रक्रिया संहिता
27. सिविल प्रक्रिया संहिता
28. भारतीय साक्ष्य अधिनियम
29. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959

बिन्दू क्रमांक-6 :- धारित किये जाने वाले अभिलेखों की केटेगरी –

विभाग में अपराध संबंधी सूचना सूचक का नाम, अपराध से संबंधित शिकायतकर्ता का नाम तथा कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन, गोपनीय अभिलेखों की श्रेणी में आते हैं। शेष, सभी अभिलेख सामान्य श्रेणी में सम्मिलित हैं।

- (6) जिला कार्यालय में संधारित किये जाने वाले अभिलेखों की सूची का विवरण निम्नवत है:-
- i ढेका शाखा:- पंजी प्रारूप जी.-1 आबकारी लायसेंसियों की पंजी, पंजी प्रारूप जी.-2 आबकारी लायसेंसियों से लायसेंस फीस की मांग एवं वसूली की पंजी, पंजी प्रारूप जी.-3 आबकारी दुकानों के लायसेंस धारकों द्वारा क्रय की गई मादक पदार्थों की दुकानवार तुलनात्मक जानकारी पंजी, चालान पंजी, आबकारी आय तौजी शासन/आबकारी आयुक्त से प्राप्त निर्देशों की पंजी का संधारण।
 - ii स्थापनाशाखा :- अवकाश पंजी, वेतनवृद्धि पंजी, कार्यालय प्रमुख के अलावा जिले के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका का रख रखाव।
 - iii मनोरंजन कर शाखा :- छविगृहवार पंजी, वी.डी.ओ पंजी तथा केबल ऑपरेटरों की पंजी, मनोरंजन आय तौजी इससे संबंधित नस्तियां एवं अभिलेखों का रख रखाव।
 - iv स्टोर शाखा :- स्टोर पंजी क्रय एवं वितरण सम्बन्धी विवरण, वर्दी पंजी, लायब्रेरी पंजी,
 - v अपराध शाखा :- पी-14 पंजी अपराधिक एवं विभागीय प्रकरणों का पंजीयन एवं लेखा जोखा राजस्व प्रकरण पंजी, विभागीय प्रकरणों का पंजीयन एवं लेखा जोखा, विभागीय प्रकरणों की प्रकरणवार नस्तियों का संधारण।
 - vi आवक जावक शाखा:- इस शाखा में आवक-जावक पंजी, डाक टिकिट पंजी, डाक बुक, सिटीजन चार्टर, सूचना का अधिकार, शिकायत एवं कार्यपालिक अधिकारियों की मासिक दैनंदिनी (डायरी) का संधारण एवं रख रखाव।

vii कैश (रोकड) लेखा शाखा :- इस शाखा में समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन दायक तैयार किये जाना एवं निर्धारित समयवधि में वेतन का भुगतान किया जाना है, साथ ही अधिकारियों/कर्मचारियों के पात्रतानुसार प्रस्तुत किये जाने वाले क्लेम जैसे यात्रा भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, सामान्य भविष्य निधि एवं विभागीय भविष्य निधि से संबंधित निमयानुसार स्वीकृत कर संबंधित को भुगतान किया जाता है तथा इन से संबंधित सामान्य भविष्य निधि पंजी, विभागीय भविष्य निधि पंजी एवं लेखा पर्ची का वितरण, बिल रजिस्टर, कान्टीजेसी पंजी, त्यौहार अग्रिम पंजी, अनाज अग्रिम पंजी, प्रतिभूति पंजी, अन्य अग्रिमों की पंजी का संधारित एवं रख रखाव , कैश बुक का संधारण किया जाता है।

बिन्दू क्रमांक-7 :-

विभाग में जिला योजना सलाहकार समिति में आम जनता की ओर से प्रतिनिधित्व होता है, इस समिति द्वारा परिसर में मदिरा के उपभोग संबंधी लायसेंस की दुकानों के अवस्थान के संबंध में भेजे गये प्रस्तावों पर विचार किया जाता है।

बिन्दू क्रमांक-8:-

दो या अधिक अधिकारियों को मिलाकर बनाई गई जिला समितियों में सम्मिलित सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. जिला समिति

प्रत्येक जिले में गठित इस समिति में जिला कलेक्टर, जिले के पुलिस अधीक्षक, संबंधित संभाग के उपायुक्त आबकारी, संबंधित जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी सदस्य होते हैं। यह समिति देशी मदिरा/विदेशी मदिरा दुकानों के निष्पादन के लिए अधिकृत की गई है।

2. बार लायसेंसों हेतु जिला समिति:-

एफ.एल.-2/एफ.एल.-3 की लायसेंस की स्वीकृति हेतु आवेदन प्राप्त होने पर गठित इस समिति में जिला कलेक्टर, जिले के पुलिस अधीक्षक, संबंधित संभाग के उपायुक्त आबकारी, संबंधित जिले के कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी सदस्य होते हैं। यह समिति एफ.एल.-2/एफ.एल.-3 लायसेंसों के मापदण्ड के परीक्षण उपरांत लायसेंस स्वीकृति की अनुशंसा के लिए अधिकृत की गई है।

3. नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985 के अंतर्गत मादक पदार्थों के नष्टीकरण के लिए समिति:-

इस समिति में उपायुक्त आबकारी, मुख्यालय संभाग के उपायुक्त आबकारी व संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/मुख्यालय के सहायक आबकारी आयुक्त सदस्य होते हैं। यह समिति उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत जप्त मादक पदार्थों को नियमानुसार नष्ट करने के लिए अधिकृत है

4. कार्यकारी परिसर में महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए समिति:-

जिन कार्यालय में एक अथवा अधिक महिलाकर्मि कार्यरत हैं वहां कार्यकारी परिसर में महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए कम से कम एक महिला सदस्य को सम्मिलित कर समिति गठित की जाती है। यह समिति उपरोक्त संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अधिकृत है।

उपरोक्त सभी समितियों की कार्यवाही पारदर्शी होकर आम जनता तक उपलब्ध है।

बिन्दू क्रमांक:-9:-

जिला कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम, पदनाम, वेतन तथा उन्हें प्राप्त होने वाली सुविधाओं की जानकारी निम्नवत् है:-

स. क्र.	नाम अधिकारी एवं कर्मचारी	पदनाम	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	महंगाई भत्ता 16 %	मकान भाड़ा भत्ता	यूनि. एला.	अन्य	योग
1	श्री आर.आर.ओसवाल	जि.आ.अ.	18590	5400	3838	375	0	0	28203
2	श्री इन्दरसिंह राजपूत	स.जि.आ.अ.	15630	3600	3077	304	20	0	22631
3	श्री सी.एल. मधुकर	उपनिरीक्षक	7160	2800	1594	180	20	0	11754
4	श्री मंशाराम उइके	उपनिरीक्षक	7160	2800	1594	180	20	0	11754
5	श्रीमती श्वेता सिंह(वास्कले)	उपनिरीक्षक	7160	2800	1594	180	20	0	11754
6	श्री राजेन्द्र चक्रवर्ती	सहा.ग्रे-3	9340	2400	1878	178	50	0	13846
7	श्रीमती सविता उइके	सहा. ग्रे. 3	3050	1525	915+2150	122	0	0	7762
8	श्री हरिप्रसाद गौस्वामी	मु. आर.	10130	2100	1957	196	06	0	14389
9	श्री विजयसिंह राजपूत	आरक्षक	10350	2100	1992	200	06	0	14648
10	श्री शत्रुघनप्रसाद मिश्रा	आरक्षक	10350	2100	1992	200	06	0	14648
11	श्री पंकजहरि गुप्ता	आरक्षक	10760	2100	2058	208	06	0	15132
12	श्री कैलाश अखण्डे	आरक्षक	6970	1900	1419	137	06	0	10432
13	श्री अमित बिल्लौरै	आरक्षक	6810	1900	1394	134	06	0	10244
14	श्री रमेशचन्द्र जायसवाल	आरक्षक	6650	1900	1368	131	06	0	10055
15	श्री परमानन्द चौधरी	आरक्षक	6650	1900	1368	131	06	0	10055
16	श्री कृष्ण कुमार सौर	आरक्षक	6970	1900	1419	137	06	0	10432
17	श्री पंढरीनाथ पाटिल	आरक्षक	10540	2100	2022	204	06	0	14872
18	श्री नर्मदाप्रसाद मालवीय	भृत्य	6790	1400	1310	136	30	0	9666
19	श्री मोहनलाल तुमराम	भृत्य	5750	1300	1128	116	30	0	8324
20	श्री गुणवंत गीद	भृत्य	4990	1300	1006	104	30	0	7430
21	श्री दिनेश कुमार सेन	भृत्य	4620	1300	947	102	0	0	6969

बिन्दू क्रमांक- 10:-

विभाग के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्राप्त वेतन :-

विभाग के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को देय एवं भुगतान किये गये वेतन से संबंधित पूर्ण जानकारी रखी जाती है। अधिकारी/कर्मचारी को मिलने वाले वेतन, देय अन्य भत्तों तथा उससे की जाने वाली कटौतियों की जानकारी अद्यतन रखी जाती है। इसमें कर्मचारी द्वारा लिये गये अग्रिमों की जानकारी, आयकर कटौती, वृत्ति कर कटौती आदि की जानकारी का समावेश रहता है। इसका विवरण इस कार्यालय में एवं कोषालय में उपलब्ध रहता है।

बिन्दू क्रमांक:-11-

आहरण सम्बन्धी बजट आवंटन एवं खर्च का विवरण मदवार तैयार कर निम्नवत् है :-

मुख्य शीर्ष 2039 राज्य उत्पादन शुल्क मांग संख्या-7 के अंतर्गत माह अक्टूबर 2009 का मासिक व्यय पत्रक

शीर्ष	स्वीकृत अवन्तन	चालू माह में व्यय	माह अन्त तक कुल व्यय	शेष
1	2	3	4	5
11-वेतन				
001-वेतन अधिकारी/कर्मचारी	2000000	176914	1613163	386837
003-मंहगाई भत्ता	350000	34774	202923	147077
006-मकान भाड़ा भत्ता	42000	3585	27453	14547
008-अन्य भत्ते				
(1) वाहन भत्ता	0	0	0	0
(2) यूनिफार्म भत्ता	5000	276	2060	2940
(3) नगर क्षतिपूर्ति भत्ता	0	0	0	0
(4) कैशियर भत्ता	0	0	0	0
(5) अन्य भत्ते	0	0	0	0
(6) अंतरिम राहत	0	0	0	0
009-चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता	3000	0	0	3000
010-अवकाश यात्रा सुविधा	0	0	0	0
011-त्यौहार अग्रिम	5000	0	0	5000
016-अनाज अग्रिम	10000	0	2000	8000
028-मंहगाई वेतन	359000	44087	183545	175455
योग-001 वेतन एवं समस्त भत्ते	2774000	259636	2031144	742856

योग –पूर्व पृष्ठ से	2774000	259636	2031144	742856
02–मजदूरी	0	0	0	0
001 यात्रा पर व्यय	15000	0	0	15000
002 स्थानान्तर पर व्यय	0	0	0	0
003 प्रशिक्षण यात्रा व्यय	0	0	0	0
22–कार्यालय व्यय				
001–डाक तार व्यय	5000	0	0	5000
002–दूरभाष व्यय	30000	1457	10278	19722
002–इन्टरनेट चार्जस	0	0	0	0
003–फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण	1000	0	0	1000
004–पुस्तके एवं नियत तालिकाए/पत्रिकाए	400	0	0	400
005–बिजली एवं जल प्रभार	10000	1600	6664	3336
006–वर्दियाँ	25000	0	0	25000
007–लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	15000	0	0	15000
008–अन्य आकस्मिक व्यय	3000	0	0	3000
048–प्रशिक्षण व्यय	0	0	0	0
009–पेट्रोल तेल आदि	10000	0	0	10000
011–किराया महसूल और कर	60000	0	0	60000
003–फीस टू प्लेडर्स	0	0	0	0
007–परिवहन व्यवस्था	440000	39620	227788	212212
002–मशीन/उपकरण मरम्मत	5000	0	0	5000
003–मोटर गाडियों की मरम्मत	15000	0	0	15000
51– अन्य चार्जस	10000	0	0	10000
56– सिक्रेट सर्विस एक्सपेंस	1000	0	0	1000
आकस्मिक निधि व्यय	1000000	0	1000000	0
(104) 34–शराब और स्पिरिट की खरीदी	3600000	441916	2319396	1280604
महायोग	8019400	744229	5595270	2424130

बिन्दू क्रमांक :-12

विभाग में कन्शेसन अनुदान अगर कोई हो तो अनुदान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का विवरण :-

1. आबकारी विभाग द्वारा भारतीय सैनिकों से उनके उपयोगार्थ प्रदाय की जाने वाली विदेशी मदिरा पर सिविलियन की तुलना में 33 प्रतिशत रियायती दरों पर ड्यूटी वसूली जाती है।
2. मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के पत्र क्रमांक बी-3-5-92/वा. कर/भोपाल दिनांक 05-11-1992 द्वारा सैनिक यूनिटों में होने वाले वार्षिक उत्सवों में हेतु प्रति सैनिक अधिकारी/कर्मचारी एक बोतल कडी मदिरा एवं दो बोतल बीयर के मान से परमिट फीस में छूट दिया जाना, प्रावधानित है।
3. मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क अधिनियम,1936 की धारा 3 के अन्तर्गत विद्यार्थियों और सैनिकों को मनोरंजन शुल्क भुगतान में छूट प्रदान की गई है।
4. नवीन छविगृह के निर्माण को प्रोत्साहन देने हेतु बनायी गयी योजना के अन्तर्गत, सहायता अनुदान नियम, 1982 बनाये गये है।
5. आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में ग्राम सभा को मदिरा दुकानें खोलने-बन्द करने तथा मदिरा की अधिपत्य मात्रा में छूट देने के सन्दर्भ में अधिकार प्राप्त है। आबकारी विभाग ग्राम सभा की सहमति से ही इन क्षेत्रों में आबकारी से संबंधित गतिविधियों का संचालन करता है।
6. इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, एवं ग्वालियर स्थलों में मल्टीप्लेक्स खोलने पर मनोरंजन शुल्क में छूट दिये जाने का प्रावधान है।
7. पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों पर मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की इकाईयों को एफ.एल.-2 (रिस्तारां बार) तथा एफ.एल.-3 (होटल बार) लायसेंसों की स्वीकृति संबंधी प्रतिबन्ध व लायसेंस फीस में छूट दिये जाने का प्रावधान है।
8. शिक्षण शालाओं व विशेष संस्थानों को शुल्क मुक्त डिनेचर्ड स्पिरिट/रेक्टिफाईड स्पिरिट दिये जाने का प्रावधान है।

विभाग में शासन द्वारा अनुदान प्राप्त कोई हितग्राही नहीं है। विभाग में हितबद्ध लायसेंसियों की जानकारी निम्नवत् है:-

स.क्र.	नाम लायसेंसी	प्रकार	रिर्माक
1	श्री प्रदीपकुमार गौर , हरदा	देशी / विदेशी मदिरा समूह हरदा क्र -1	
2	श्री बद्रीप्रसाद जायसवाल, हरदा	देशी / विदेशी मदिरा समूह, हरदा क्र-2	
3	श्रीमती विद्याबाई रघुवंशी,, टिमरनी	देशी / विदेशी मदिरा समूह, टिमरनी	
4	श्री विनोद राजवैद, टिमरनी	देशी मदिरा समूह, खिरकिया / छीपाबड	
5	श्री तेजेन्दरसिंह भाटिया, खिरकिया	देशी / विदेशी मदिरा समूह, सिराली	
6	श्री बजरंग सिंह, सिराली	देशी मदिरा समूह, पोखरनी	
7	श्रीमती अनिता जायसवाल	देशी मदिरा समूह, टिमरनी एवं हण्डिया	
8	श्री कौशलेश मिश्र, हरदा	भाग, भांगघोटा हरदा / भांग टिमरनी भांग खिरकिया	
9	श्री राम हरि शर्मा, हरदा	ताडी दुकान , हरदा	
10	श्री पंकज बाफना, हरदा	स्वामी श्री प्रताप छविगृह, हरदा	
11	श्रीमती सुशीलाबाई तिवारी, हरदा	स्वामी श्री नारायण छविगृह, हरदा	
12	श्री पूनमचन्द गुप्ता, खिरकिया	स्वामी गुप्ता विडियो हॉल, खिरकिया	
13	श्री अमित कुमार गुप्ता, खिरकिया	स्वामी अमित विडियो हॉल, खिरकिया	वर्तमान में बंद है।
14	श्री अनिल अग्रवाल, हरदा	होटल अंलकार केबल ऑप. हरदा	
15	श्री मनदीपसिंह सलूजा, हरदा	होटल राज रेसीडेंसी, केबल ऑप, हरदा	
16	श्री जयन्त पाटिल, हरदा	होटल जयदीप केबल ऑप. हरदा	
17	श्री भगताराम भाटी हरदा	होटल लाइली केबल ऑप. हरदा	
18	श्री धनन्जय, हरदा	होटल मयूर केबल ऑप. हरदा	
19	श्रीमती लक्ष्मी मूंदडा, हरदा	होटल लक्ष्मी केबल ऑप. हरदा	
20	श्री अनुराग बिन्दल, हरदा	होटल इन्द्रामहल, हरदा	
21	श्रीमती पदमा जैन, हरदा	जैन केबल ऑपरेटर, हरदा	
22	श्रीमती प्रतिभा जैन, हरदा	जैन केबल ऑपरेटर, हरदा	
23	श्री प्रवीण चौरसिया, हरदा	साई, केबल ऑप. हरदा	
24	श्री शिवनारायण जगनवार, हरदा	शिवम केबल ऑप, हरदा	
25	श्री सलीम शाह, हरदा	मुस्कान केबल ऑप, हरदा	
26	श्री अब्दुल सईद खान, हरदा	नेशनल केबल ऑप. हरदा	
27	श्री अलीम कुरेशी, हरदा	कुरेशी केबल ऑप., हरदा	
28	श्री उमेश राठौर, हरदा	बच्चन केबल, ऑप, हरदा	
29	श्री राजेश सोनी, हरदा	सोनी केबल ऑप, हरदा	
30	श्री अस्फाक अली, हरदा	रायल केबल ऑप. हरदा	
31	श्री प्रमोद दुबे, हरदा	दुबे केबल ऑप. हरदा	
32	श्री गोविंद गेंदर, हरदा	गोविंद केबल ऑप. हरदा	
33	श्री विजय पटेल, हरदा	विजय केबल ऑप. हरदा	
34	श्री फारूख अली, हरदा	अली केबल ऑप. हरदा	
35	श्री राजकुमार भारती, टिमरनी	भारती केबल ऑप. टिमरनी	
36	श्री नितिन तिवारी, टिमरनी	नितिन केबल ऑप. टिमरनी	
37	श्री राजेश तिवारी, टिमरनी	राजेश केबल ऑप. टिमरनी	
38	श्री विकास मालवीय, टिमरनी	विकास केबल ऑप. टिमरनी	

39	श्री राजेन्द्र ताम्बुलकर, टिमरनी	राजेन्द्र केबल ऑप. टिमरनी	
40	श्री नरेन्द्र टिमरनी	नरेन्द्र केबल ऑप. टिमरनी	
41	श्री गिरीश धुरे, टिमरनी	गिरीश केबल ऑप. टिमरनी	
42	श्री नीरज तिवारी, टिमरनी	नीरज केबल ऑप. टिमरनी	
43	श्री राजेन्द्र कैथवास, टिमरनी	राजेन्द्र केबल ऑप. टिमरनी	
44	श्री विनोद कुमार जैन, टिमरनी	विनोद केबल ऑप., टिमरनी	
45	संदीप पाटिल, खिरकिया	संदीप केबल ऑप. खिरकिया	
46	अनिल वर्मा, खिरकिया	वर्मा केबल ऑप. खिरकिया	
47	दुर्गापाटिल, खिरकिया	शिवम केबल ऑप. खिरकिया	
48	अशोक विश्वकर्मा, खिरकिया	अशोक केबल ऑप. खिरकिया	
49	अशोकसिंह राजपूत खिरकिया	अशोक केबल ऑप. खिरकिया	

बिन्दू क्रमांक 13 :-

अनुदान अगर कोई हो तो अनुदान 3 लाख प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का विवरण विभागीय वेबसाइट [www. mpexcise.org.in](http://www.mpexcise.org.in) पर जानकारी दी गई है।

बिन्दू क्रमांक-14 :-

प्रत्येक शाखा प्रभारी के पास विभाग से सम्बन्धित जानकारी अद्यतन है। विभाग से सम्बन्धित सभी अधिनियम, नियम, अधिसूचनाओं को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। विशेष अधिसूचनाओं का सूचना का समाचार पत्रों में प्रकाशन भी कराया जाता है। जनसाधारण इससे वांछित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।

बिन्दू क्रमांक-15 :-

जन साधारण को उपलब्ध सुविधाएँ जिसमें से वे सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

आबकारी विभाग के अन्तर्गत जन साधारण के लिए निम्न प्रकार कार्य/गतिविधि के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

1. मदिरा की गुणवत्ता के सम्बन्ध में।
2. मदिरा दुकान हटाने/बन्द कराने की मांग के संबंध में।
3. देशी मदिरा/भाग खरीदी के टेण्डर पर स्वीकृत प्रदाय दर/क्रय दर तथा टेण्डरदाता/प्रदायकर्ता की जानकारी।
4. आबकारी राजस्व एवं मनोरंजन शुल्क/विज्ञापन कर की जानकारी।
5. आबकारी अपराधों एवं अवैध गतिविधियों की रोकथाम की जानकारी।
6. अधिकारी/कर्मचारी या लायसेंसों में अवैध कृत्यों की जानकारी
7. जिला स्तर पर स्वीकृत होने वाले लायसेंसों की जानकारी।
8. महिला नीति के तहत आबकारी दुकान हटाने की कार्यवाही सम्बन्धी जानकारी।

उक्त जानकारी प्राप्त करने हेतु आबकारी विभाग जिला हरदा में आम नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी तथा निर्वाही कर्मचारी को नाम जद किया गया है इस हेतु स्थानीय स्तर पर पब्लिक काउन्टर बनाया गया है।

बिन्दू क्रमांक-16 :-

लोक सूचना अधिकारी :- आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा जिला आबकारी अधिकारी, हरदा को लोक सूचना अधिकारी तथा सहायक जिला आबकारी अधिकारी को सहायक लोक सूचना अधिकारी नामांकित किया गया है। जिनका पदनाम एवं दूरभाष विवरण इस प्रकार है :-

स.क्र.	नाम व पदनाम	दूरभाष नम्बर	
		कार्यालय	निवास/कन्ट्रोल रूम
1	श्री आर.आर.ओसवाल, लोक सूचना अधिकारी / जिला आबकारी अधिकारी	224620	225835
2	श्री आई.एस.राजपूत, सहायक लोक सूचना अधिकारी / सहायक जिला आबकारी अधिकारी	224620	226303

बिन्दू क्रमांक-17 :-

विभाग से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों/नियमों/अधिसूचनाओं/टेण्डर/नोटिस का प्रकाशन राजपत्र के साथ साथ प्रमुख समाचार पत्रों में कराया जाता है। इसे विभागीय वेबसाइट पर भी अंकित किया जाता है।

लोक सूचना अधिकारी
(जिला आबकारी अधिकारी)
जिला-हरदा, (म.प्र.)

